


# दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण



सचिव का कार्यालय  
सामान्य प्रशासन विभाग  
स्थापना अनुभाग  
गांधीधाम (कच्छ)

सं. : जीए/पीएस/3503/ 3/04


दिनांक : 23-02-2024

## कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कर्मिकों को प्रधान लिपिक के पद पर रु. 32500-83800 के वेतनमान में, तत्काल प्रभाव से, नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है तथा उनके समक्ष दर्शाये गये विभाग में तैनात किया जाता है: -

क्र.सं.	कर्मिकों का नाम, पदनाम एवं विभाग	तैनाती का विभाग
(i)	श्रीमती ज्योति भावनानी, सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग	सामान्य प्रशासन
(ii)	श्रीमती ममतारानी चक्रवर्ती, सहायक, वित्त विभाग	सिविल अभियांत्रिकी

- उनका वेतन लागू सामान्य नियमों के तहत, मंत्रालय के पत्र सं.: सी-13019/33/2020-पीई-11 दिनांक 01 जुलाई 2022 के माध्यम से प्राप्त तत्संबंधी निर्देश के अधीन तय किया जाएगा।
- वे दीनदयाल पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम 2009 के अधीन रहेंगे।
- उनकी सेवा संबंधी अन्य शर्तें, लागू सुसंगत नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगी।
- उन्हें मूल नियमावली 22(1)(क)(1) में तथा उपबंधित वेतन के नियतन से संबंधित अपना विकल्प इस आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर देना होगा। अगर एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत उन्हें वेतन नियतन का लाभ मिल चुका है तो उस परिस्थिति में यह शर्त लागू नहीं होगी।
- उन्हें सात (7) दिनों के अन्दर तैनाती के स्थान पर हाजिर होना होगा अन्यथा उनकी पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी तथा वे एक साल तक पदोन्नति के हकदार नहीं रहेंगे।
- उपरोक्त पदोन्नति को स्वीकार न करने पर तथा लिखित में उपयुक्त कारण न देने पर इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 26.12.2011 के परिपत्र सं. : जीए/पीएस/9332(पार्ट)/329 और दिनांक 19.5.2014 के परिपत्र सं.:जीए/पीएस/9350/946 के तहत प्रशासनिक प्रक्रिया (1) से (5) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।  
(प्राधिकार : तत्संबंधी ई-फाइल सं.641 में टिप्पणी सं.40 पर दिनांक 22.02.2024 को सचिव के अनुमोदन से)

  
वरिष्ठ उप सचिव  
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण 23/02/2024

प्रति:

- श्रीमती ज्योति भावनानी, सहायक, का.सं.6047, सा.प्र.विभाग- वरि.सहा.सचिव माध्यम से
- श्रीमती ममतारानी चक्रवर्ती, सहायक, का.सं.462, वित्त विभाग - वि.स.एवं मु.ले.अधि. के माध्यम से

प्रतिलिपि :

- मुख्य अभियंता/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/वरि.सहा.सचिव - सूचना एवं कार्यमुक्त करने व ड्यूटी रिपोर्ट भेजने आदि से संबंधित तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई के अनुरोध सहित
- सहायक लेखा अधिकारी (देय), गांधीधाम
- मुख्य प्रबंधक(आईसीटी) - डीपीटी की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु
- सा. प्र. विभाग - संबंधित वरिष्ठ लिपिक/डीपीसी फाइल/मास्टर फाइल/एचसीएम प्रकोष्ठ/अतिरिक्त प्रति
- उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / आवासीय लेखा परीक्षा अधिकारी - सूचनार्थ